संख्या:1032 / VII-II-10 / 70–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 03 ~~मई~~ 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोधानित योजनान्तर्गत लघु उद्योगों की गणना **योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:708 / उ0नि0(दो)–03 / बजट मॉग (गणना) / 2010–11 दिनांक 15.5.2010 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 187/XXVII(1)/2010 दिनांक: 30 मार्च, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु लघु उद्योगों की गणना योजनान्तर्गत बचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि **रू0 16.13 लाख (रू0 सोलह लाख तेरह हजार मात्र)** निम्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

0101–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% केन्द्र सहायता)

कोड / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 हजार में)
01–वेतन	975
03–मंहगाई भत्ता	341
06–अन्य भत्ते	107
13–टेलीफोन पर व्यय	30
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100
योग–	1613
	(रू0 सोलह लाख तेरह हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त योजना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के समतुल्य ही धनराशि का व्यय हेतु आहरण किया जायेगा। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। व्यय भारत सरकार के द्वारा अवमुक्त की जानी वाली धनराशि के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / अन्य आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्ही मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार

नही देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2011 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5— वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0—8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय का विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय—13 के प्रस्तर—116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर—128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर—130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

6— उक्त योजनान्तर्गत बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में धनराशि इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर इस धनराशि का समायोजन करा लिया जायेगा।

7— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अनुदान संख्या—23 के मुख्य लेखाशीषर्क—2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00—आयोजनागत, 102—लघु उद्योग, 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0101—लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0सहा0) के अन्तर्गत प्रस्तर—1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः 158 /XXVII(2)/2009 दिनांक 25 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1032/VII-II-10/70—उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन/ अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2
8. गार्ड—फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।